

प्रेसनोट दिनांक 13.02.2021

1. दिनांक 12.02.21 को वादी श्री दिनेश कुमार सिंह पुत्र प्रेम नारायण सिंह नि० मडना थाना महाराजगंज द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 45 एसी 5657 कार का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की भतीजी शिवानी की साईकिल में टक्कर मार देना जिससे उसको चोटे आना व साईकिल क्षतिग्रस्त हो जाना जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 38/21 धारा 279, 337, 427 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 12.02.21 को वादी श्री प्रदीप यादव पुत्र सूर्यनाथ नि० बवां थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 90 टी 5632 ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता व रिश्तेदार को टक्कर मार देना जिससे 03 लोगों की मृत्यु हो जाना तथा गाडी क्षतिग्रस्त हो जाना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 44/21 धारा 279, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 12.02.21 को वादी उ०नि० श्री राजीव सागर थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार पुत्र कांता प्रसाद नि० कीन्हपुर थाना खण्डासा गिर० अभि० के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 19/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 12.02.21 को वादी श्री सत्यदेव मिश्र पुत्र चेताराम नि० लाला का पुरवा थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि भानु प्रताप नि० लाला का पुरवा थाना हैदरगंज अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा घर में घुसकर मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 33/21 धारा 323, 504, 506, 452 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।